राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017 राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बसन्त

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

म्युटेशन अपील सं. 03/2017
दायरा तिथि 27.04.2017
निर्णय तिथि 15.06.2017

अपीलांटः–	बनामः	रेस्पोडेन्ट्सः–
नरसिंग पुत्र स्व.पोमाजी जाति माली निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर		1–सरपंच, ग्राम पंचायत बसन्त 2–किशोरसिंह पुत्र खीमसिंहजी जाति पुरोहित निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर

म्युटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 RLRAct,1956

(विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 328 दिनांक 05.12.2008 सरपंच, ग्राम पंचायत बसन्त द्वारा स्वीकृत किया गया है, को निरस्त कराने बाबत)

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि 15.06.2017

उपरोक्त म्युटेशन अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र बसन्त में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्तागण उपस्थित। लोक अदालत की भावना से पक्षकारों ने उनके अधिवक्ता के मार्फत राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। प्रश्नगत् मामले में पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध यह म्युटेशन अपील कतिपय प्रावधान के तहत, साथ ही म्युटेशन अपील के डिले को कण्डोन करने हेतु मर्यादा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बसन्त, पटवार सर्कल बसन्त, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 146 रकबा 7.85 हेक्टर किस्म जा.अ.चा.प्र. में अपीलांट का 1/4 हिस्सा मे से 1/5 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 1/20 हिस्सा खातेदारी का निहित था, जिसमें से अपीलांट ने अपने 1/20 हिस्से में से 1/23 हिस्सा अर्थात कुल भूमि का 1/460 हिस्सा ही पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 13.11.2007 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.02 को बैचान किया था और वक्त बैचान कुल भूमि के 1/460 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट सं.02 को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया था जिस पर उनका कब्जा काश्त आज तक चला आ रहा है तथा शेष निहित खातेदारी भूमि पर अपीलांट का ही शांति पूर्वक कब्जा काश्त आज तक चला आ रहा है, परन्तु प्रश्नगत् कृषि भूमि में अपीलांट के सम्पूर्ण निहित हिस्से की खातेदारी भूमि को अपीलाधीन म्युटेशन द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.02 के नाम गलत रूप से व विधि विरूद्ध राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया जिससे अपीलांट अपने हक–अधिकार से वंचित हुआ है। अतः अपील डिले को कण्डोन करते हुए इस अपीलाधीन म्युटेशन अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन म्युटेशन सं. 328/05.12.2008 को इस हद तक निरस्त किया जावे

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

कि प्रश्नगत् कृषि भूमि खसरा नं. 146 में अपीलांट के निहित खातेदारी 1/4 हिस्सा में 1/5 हिस्सा अर्थात कुल भूमि का 1/20 हिस्सा में से अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.02 को 1/23 हिस्सा अर्थात कुल भूमि के 1/460 हिस्सा बैचान किया गया है वह हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट सं.02 के नाम खातेदारी व शेष रही अपीलांट की निहित हिस्सा भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

(2) कि इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प की भावना के अनुरूप प्रश्नगत् मामले में सुलभ न्याय प्राप्ति हेतु पक्षकारों ने इस आशय का राजीनामा पेश किया कि प्रश्नगत् कुल कृषि भूमि में अपीलांट के निहित 1/20 हिस्से में से 1/460 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 02 के नाम एवं शेष हिस्सा भूमि पूर्व रेकर्ड अनुसार अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। प्रश्नगत् मामले में उपलब्ध साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः अपीलाधीन म्युटेशन सं. 380/05.12.2008, म्युटेशन सं.414/09.09.2010, विक्रय–विलेख पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 13.11.2007, संबंधित जमाबंदिया संवत् 2060–63, 2064–67, 2069–71, 2072–75 इत्यादि व उभयपक्षीय द्वारा सत्यापित तस्दीक सुदा राजीनामा में अभिव्यक्त इबारत के बारे में अवलोकन, परीक्षण एवं विचारण करने के पश्चात् हमने पाया कि कथित अपीलाधीन म्युटेशन अपील में वर्णित कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है और हमारे विधिक विचारों में प्रश्नगत मामले को उभयपक्षीय राजीनामा इबारत माफिक प्रश्नगत् म्युटेशन अपील को डिले कन्डोन करते हुए स्वीकार करके अपीलाधीन म्युटेशन सं. 328/05.12.2008 को इस हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर को इस आशय का आदेश दिया जाना उचित समझते है कि वे प्रश्नगत् कृषि भूमि खसरा नं. 146 में अपीलांट के निहित खातेदारी 1/4 हिस्सा में 1/5 हिस्सा अर्थात कुल भूमि का 1/20 हिस्सा में से अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.02 को 1/23 हिस्सा अर्थात कुल भूमि का 1/460 हिस्सा बैचान किया गया है वह हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट सं.02 के नाम व शेष रही अपीलांट की निहित हिस्सा भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज कर पालना सुनिश्चित करे।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः अपीलांट की यह अपीलाधीन म्युटेशन अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के कतिपय प्रावधान के तहत डिले कण्डोन करते हुए जरिए राजीनामा स्वीकार की जाकर सरहद मौजा बसन्त, पटवार सर्कल बसन्त, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 146 रकबा 7.85 हेक्टर किस्म जा.अ.चा.प्र. से संबंधित अपीलाधीन म्युटेशन सं. 328/05.12.2008 को इस हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर को आदेशित किया जातो है कि वे प्रश्नगत् कृषि भूमि खसरा नं. 146 में अपीलांट के निहित खातेदारी 1/4 हिस्सा में 1/5 हिस्सा अर्थात कुल भूमि का 1/20 हिस्सा में से अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.02 को 1/23 हिस्सा अर्थात कुल भूमि का 1/460 हिस्सा बैचान किया गया है वह हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट सं.02 के नाम व शेष रही अपीलांट की निहित हिस्सा भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज कर पालना सुनिश्चित करे। उक्त निर्णय की सत्यापित प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को पालनार्थ भिजवायी जावे।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 15.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प बसन्त में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner